



राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2020/36457

दिनांक: 05/09/20

- प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त संघटक महाविद्यालय
(महाराजा/महारानी/कॉर्मर्स/राजस्थान महाविद्यालय)
- शैक्षणिक पी.जी. विभागाध्यक्ष/निदेशक/को-ओडिनेटर (जिनके अधीन सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स चलते हो)।
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय:— प्रथम अस्थाई प्रवेशित छात्रों की फीस जमा कराने को आगे बढ़ाने एवं अन्य प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के क्रम में।

सन्दर्भ:— (1) इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शैक्षणिक द्वितीय/सी.ए.बी./2020/36328 दिनांक 25-08-2020 एवं (2) पत्र क्रमांक शैक्षणिक द्वितीय/2020/36380 दिनांक 03-08-2020 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन कर सूचित किया जाता है कि:—

- प्रथम अस्थाई वरीयता सूची की फीस ऑनलाईन जमा करने के लिये 07 सितम्बर, 2020 (सोमवार) रात्रि 11:59 बजे तक बढ़ाई जाती है।
- ऐसे छात्र जिनसे कुछ दस्तावेज ऑनलाईन द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/विभागों द्वारा चाहे गये थे उसकी भी अवधि दिनांक 05 सितम्बर, 2020 से बढ़ाकर दिनांक 07-09-2020 रात्रि 11:59 बजे तक बढ़ाई जाती है।
- द्वितीय वरीयता अस्थाई सूची जो दिनांक 07 सितम्बर, 2020 को सम्बन्धित संघटक महाविद्यालय/विभाग द्वारा जारी की जानी थी उसे दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को जारी किया जावें।

भवदीय

(राजकुमार जैन)
उप-कुलसचिव (शैक्षणिक द्वितीय)

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2020/36458-68

दिनांक: 05/09/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—

- प्रो. विजय वीर सिंह, कन्चीनर, केन्द्रीय प्रवेश समिति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचनाओं को न्यूज आईटम के रूप में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
- निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उक्त सूचना को अपलोड करवाने का श्रम करें।
- उप-कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

05/09/2020
सहायक-कुलसचिव (शैक्ष.-द्वितीय)